

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 695 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Shyam Ji Mishra

...Applicant

-versus-

State of UP & Ors.

.... Respondents

INDEX

SL.NO	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply/Report on behalf of Respondent No.5 – Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	1-3
2.	<u>ANNEXURE A-1</u> A true copy of the revenue records (Khatauni).	4-5
3.	<u>ANNEXURE A-2</u> A true copy of the list of trees felled along with species, age and other details of trees.	6
4.	<u>ANNEXURE A-3</u> A true copy of the notification dated 20.07.2021 & 25.10.2017.	7-8
5.	<u>ANNEXURE A-4</u> A true copy of the letter dated 05.03.2018.	9
6.	Proof of service.	10

Filed by



AVNEESH ARPUTHAM

Advocate for the Respondent No.5
Off: 25, Bazar Lane, Bengali Market,
New Delhi – 110001.

Email – avneeshlaw@gmail.com

Mob. No. 96544 12354

Place: New Delhi

Dated : 13.11.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi

O.A. No. 695 of 2024

O.A. No. 695 of 2024 in the matter of Shyam Ji Mishra Vs
State of U.P. & Ors

Additional Report on behalf of MoEF&CC, (i.e respondent no.5) in Compliance of the Hon'ble NGT order dated 02.09.2024. The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 02.09.2024 which read as

"... 5. From the report we find that neither it has been specified as to whether the land in which trees have been cut is a forest land or not, nor regarding the kind of trees, age and other details of the trees which were allowed to be cut by Divisional Forest Officer including, ownership of land, necessary facts have been disclosed. We are also at a loss to appreciate as to what relevant considerations were considered by Divisional Forest Officer in permitting cutting of trees since that is the requirement under the provisions of UP Protection of Trees Act, 1975. The report therefore is incomplete and does not discloses all the necessary facts...."

1.0 Preliminary Submissions

1.1 It is humbly submitted that the MoEFCC deals with policy and regulatory issues at a broader level. The role of the MoEFCC is to frame policy, provide directions, guidance as an advisory capacity, and approvals under the provisions of the relevant Central Acts.

1.2 The 'land' is a subject matter of the State Government. The forest areas and the legal boundaries thereof are determined and maintained by the concerned State Government. That being the repository of land records, the State Government has the primary responsibility to determine status of any parcel of land, giving due regards to gazette notifications, provisions under



State and Central Acts and concerned judgments and directions of the Hon'ble Supreme Court.

1.3 With regards to Felling of trees, it is submitted that the Protection and management of forests is primarily the responsibility of State Governments /Union Territory Administrations. There are strong legal frameworks for protection and management of tree resources which include National Forest Policy 1988, Indian Forest Act, 1927, Forest (Conservation) Act, 1980, Wildlife (Protection) Act, 1972 and State Forest Acts/State specific Tree Preservation Acts and Rules, etc. The State Governments /UT Administrations take appropriate actions in accordance with the provisions made under these Acts/ Rules for regulating felling of trees.

2.0 Statement of Facts

2.1 That in compliance of this Hon'ble Tribunal order dated 02.09.2024, undersigned has visited the office of DFO, Obra, Sonbhadra and collected the documents pertains to the present case.

2.2 It is humbly submitted that the revenue records (Khatauni) specifically mentioned that Obra Colony, U.P. Rajvidyut Upadan Nigam Limited, Obra, Sonebhadra is the owner of land situated at Khasra No. 2327(Ka), Village- Billi Markundi, Pargana- Agori, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra. Copy of revenue records (Khatauni) is annexed as **Annexure-A1**

2.3 The list of trees felled along with species, age and other details of trees are annexed as **Annexure-A2.**

2.4 It is humbly submitted that the State of U.P. issued the notification dated 20.07.2021 & 25.10.2017 which specifies the provisions under which the permission of felling of trees were accorded.

Copy of notification dated 20.07.2021 & 25.10.2017 is annexed as **Annexure-A3**



2.5 The DFO, Obra, Sonbhadra has granted the approval of felling of trees vide letter dated 05.03.2018 with respect of 1156 trees in Sector-2, 3 & 4 (Gandhi Maidan) and Kendriya Bhandar area at Obra Colony.

Copy of letter dated 05.03.2018 is annexed as Annexure-A4

Prayer

3.0 It is humbly submitted that in compliance of order dated 02.09.2024, an Additional report is being filed by answering respondent to this Hon'ble Tribunal.

3.1 It is submitted that an Additional report is being filed by the answering respondent at this stage and craves leave and liberty to file a detailed Counter Affidavit to the aforesaid original application, as and when required.

3.2 That, in view of the aforementioned facts and circumstances, this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass appropriate order(s)/directions as the Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.



(Dr. Pranay Misra)
Assistant Inspector General of Forest (Central)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, Lucknow

322

उद्धरण खतौनी

Annexure A-1

प्रकल्प संख्यांक : 63010300001

ग्राम का नाम : बिल्ली भारकुण्डी

पागना : अयोरी

तहसील : राधेसरांज


प्रकल्प : सोनभद्र

फसली वर्ष : 1422-1427

भाग : 1

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	आने के प्रत्येक गटे की बसरा संख्या	प्रत्येक गटे का क्षेत्रफल (हे.)	आवेदक द्वारा देय मालगुजारी का लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आगत या उसका संग्रहण अथवा संख्या तथा दिनांक कीमत और आगत देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0:122	ओबरा कालोनी वनप्रदेश राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लिमिटेड ओबरा		नि. ग्राम		2086ग	0.2690			
			नि. ग्राम		2097क	0.0630			
			नि. ग्राम		2099क	1.1370			
					2100	0.0510			
					2101ग	0.1910			
					2102	0.0510			
					2103ख	0.3410			
					2104	0.7840			
					2106	0.7590			
					2109ख	0.0630			
					2111ख	1.1000			
					2112ग	0.2020			
					2113ख	0.2400			
					2114	0.2780			
					2115ख	0.0630			
					2139ख	0.0890			
					2327क	376.2980			
					2330म	22.8360			
					2330के	50.7660			
					2331ग	2.3890			
					3059म	0.4170			
					3886	0.0250			
					3888	0.0130			
					4483क	0.6580			

नोट: 6-2 अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, ध्वन और ऐसी दूसरी भूमियां अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हैं।





323

5

संख्या : 1422-1427
 सौजन्य
 सार्वजनिक काम
 विभाग

क्र.सं.	सौजन्य	संख्या	प्रकार	प्रमाण	विवरण	दिनांक
1		2	3	4	5	6

कुल राशि: 4484 रु.
 4722 रु.
 25 रु. सं. सं. 461,2810



[Handwritten signature]

(272)

1156 कुहो का नाम गोल वार विभाग :-

क्र. सं.	प्रजाति वृक्ष का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50				51-60				61-70				कुल योग
		अनाफिट		अनाफिट		अनाफिट		अनाफिट		अनाफिट		फिट		अनाफिट		फिट		अनाफिट		फिट		
		संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	
1	आम	0	0	24	1386	81	18009.75	125	86625	52	148600	4	28994	29	39926.8	1	27568	45	206662.5	5	91850	710236.5
2	नीम	0	0	12	692	45	10338.75	50	34650	28	50743	3	21747	6	20674.5	2	27566	3	13777.5	7	36740	216939.75
3	पीपल	0	0	0	0	0	0	1	172	1	343.75	0	0	4	2260	0	0	23	21129.5	0	0	23841.25
4	बेल	0	0	6	141	26	2684.5	25	4300	5	1718.75	0	0	2	1100	0	0	3	2755.5	0	0	12699.75
5	काहलुज	0	0	5	117.5	12	1239	13	2236	16	5500	0	0	2	1100	0	0	2	1837	0	0	12029.5
6	अनारद	0	0	5	117.5	9	929.25	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218.75
7	तुलस	0	0	4	94	7	722.75	6	1032	6	2062.5	0	0	2	1100	0	0	7	6429.5	1	3674	15114.75
8	छमूच	0	0	16	376	38	3923.5	50	8500	14	4812.5	0	0	2	1100	0	0	5	4591.5	0	0	23404.5
9	पानुन	0	0	1	115.5	3	689.25	11	7623	9	16310.3	0	0	1	3445.75	0	0	1	13777.5	1	18370	60331.25
10	विलशित	0	0	0	0	8	1364	4	2200	2	1559.5	0	0	1	1555	0	0	0	0	0	0	6718.5
11	सिप्टस	0	0	0	0	0	0	1	550	8	7348	0	0	2	3217.5	0	0	5	11481.25	0	0	22596.75
12	औठला	0	0	1	23.5	5	516.25	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711.75
13	अमल अलेबी	0	0	3	70.5	15	1548.75	9	1548	2	687.5	0	0	0	0	0	0	2	1937	0	0	5691.75
14	हन्सी	0	0	1	57.75	7	459.5	1	693	0	0	0	0	2	6891.5	0	0	2	9185	0	0	17286.75
15	सागीन	0	0	0	0	0	0	2	3712.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3712.5
16	देर	0	0	21	493.5	36	3717	4	688	1	343.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5242.25
17	कदम	0	0	0	0	2	208.5	6	1032	4	1375	0	0	0	0	0	0	1	518.5	0	0	3533
18	सहपूत	0	0	1	23.5	3	309.75	0	0	1	343.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
19	दिगन्ता	0	0	0	0	0	0	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
20	शीबन	0	0	1	75.75	0	0	0	0	1	3712.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29700	33488.25
21	सिरिस	0	0	6	346.5	21	4824.75	41	28413	7	12685.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18370	64640
22	अशोक	0	0	0	0	5	516.25	2	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.25
23	सैमर	0	0	0	0	3	511.5	4	2200	0	0	0	0	1	1595	0	0	2	4136	0	0	8442.5
24	मरास	0	0	0	0	0	0	2	344	0	0	0	0	1	550	0	0	0	0	0	0	894
				108	4131.5	321	53111	360	187478.5	167	258151	7	50743	55	144496	4	55132	103	298515.25	11	198704	1250462.25
																						1250462.25

(अनिल कुमार सिंह)
वन दरोगा, डाला रेंज

(त्रियुगी नारायण)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डालारेंज

(मानसूद अरसंगी)
अधिसायी अभियन्ता

1156

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5
संख्या-5/2017/2242/14-5-2017-7/93
लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा-23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-611/14-5-2012-07/93, दिनांक 20.07.2012 का अधिक्रमण करके राज्यपाल लोकाहित में, घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को दिनांक 31, दिसम्बर, 2025 तक, तब तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि उक्त वृक्ष सूख न गया हो, या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिये इसका काटा जाना आवश्यक हो या आम (मैंगीफेरा इण्डिका) वृक्ष की स्थिति में, उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो, और ऐसे वृक्षों को काटने के लिये सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो :-

क्र० सं०	सामान्य नाम	व्यक्तिगत नाम
1	आम (देशी/तुकामी/कलमी)	मैंगीफेरा इण्डिका
2	नीम	अजेडिरेक्टा इण्डिका
3	साल	शीरिया रोबस्टा
4	महुआ	मधुका लैटीफोलिया

संलग्न सिंह
सचिव

संख्या-2242(1)/14-5-2017, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय नुदाणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की जर्नल प्रति इस अनुबंध के साथ प्रेषित की वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट दिनांक 25.10.2017 के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशित करने व उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कार्य करें।
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - (3) सनस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - (4) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 वन निगम, लखनऊ।
 - (5) सनस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रमाणाय वनाधिकारी/प्रमाणाय निदेशक, 30प्र0।
 - (6) सनस्त गण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - (7) सनस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - (8) सनस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग-5
संख्या-611/14-5-2012-07/93
लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-45, सन् 1976) की धारा-23 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-71/चौदह-3-377-76, दिनांक 20 जनवरी, 1982, संख्या-1057/14-प०मू०वि०-98-7-93, दिनांक 05 जून, 1998, संख्या-2759/14-प०मू०वि०-2000-7/93, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 और भामले से सम्बन्धित समस्त अन्य अधिसूचनाओं का अधिकरण करके राज्यपाल, लोकहित में, घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को 31 दिसम्बर, 2020 तक, तब तक नहीं काटा जावेगा जब तक कि कोई वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या यह व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो, या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के निष्पादन के लिये इसका काटा जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को काटने के लिये सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली नयी हो :-

क्र०सं०	साधारण नाम	वैज्ञानिक नाम
1	नीम	अजोडिरन्टा इण्डिका
2	महुआ	मधुका लैटीफोलिया
3	साल	सौरिया रोवस्टा
4	पीपल	फाइकस रेलीजियोसा
5	बरगद, बड़	फाइकस बंगालेन्सिस
6	आम (देशी, कलमी और तुकमी)	मैगीफेरा इण्डिका
7	बीजा साल	टेरोकापत नारसूपियम

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

17

[Handwritten signature]

Anx-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 3029 / ओबरा / 37 दिनांक 5-3-2018
सेवा में,

अधिशसी अभियन्ता,
ओबरा सी जानपद निर्माण खण्ड-1,
उ०प्र०रा०वि० उत्पादन नि०नि०,
ओबरा सोनभद्र।

विषय:-

2X6E0 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना के राख बॉध स्वीच यार्ड राख संचालन क्षेत्र एवं 33 के० वी० सब स्टेशन के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर- 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र व ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-


महोदय,

आपका पत्रांक 15/ओ.सी.जा.नि.ख.-1 /वन विभाग/दिनांक 30.01.2018

सन्दर्भित पत्र के क्रम में ओबरा कालोनी के सेक्टर 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र व ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित 1156 वृक्षों के पातन की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. वृक्ष काटने के समय जान माल आदि का खतरा न उत्पन्न होने पाये।
2. पातन केवल उन्हीं वृक्षों का किया जाय जो सूची में प्रस्तावित हैं।
3. पातन किए गये वृक्षों को अन्यत्र ले जाने हेतु प्रभागीय कार्यालय से अभिवहन पास लेना तथा उक्त पेड़ों के सापेक्ष नियमानुसार अभिवहन शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

भवदीय


(अमर बहादुर)


वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पत्रांक:- 3029

अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी डाला रेंज को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त कटान एवं निकासी पर निगरानी रखना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय विनय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम दुधही सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(अमर बहादुर)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।



02

OA No. 695 of 2024 - Shyam Ji Mishra vs State of UP & Ors.

1 message

Arputham Aruna & Co. <arputham25@gmail.com>


13 November 2024 at 13:41

To: gigiegeorge.adv42@yahoo.in, ">" <pradeepmisra@yahoo.com>

To,
Sir

Please find attached herewith Reply/Report on behalf of the Respondent No.5 - Ministry of Environment, Forest and Climate Change

With Regards
Avneesh Arputham,
Advocate for Respondent No.5

 **Reply Report on behalf of Respondent No.5.pdf**
9091K